फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान

रामस्वरूप बनाम कैलाश वगै०

मुकदमा नं० :— 276/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार—बार आवाज लगवाई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 8 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।	
	02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 0.6400है० वाके ग्राम खतेहपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं० 10 (पैरोकार सरकार) ने अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम खतेहपुरा खसरा नम्बर 296 रकबा 0.64है० रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण जाति हरि० ब्रा० की खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। भूमि मौके पर खाली है। मुताबिक पटवारी खसरा म्बर 296 रकबा 0.70है० आता है जो कि जमाबन्दी के रकबे से ज्यादा है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी के प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खतेहपुरा में स्थित खसरा नम्बर 296 रकबा 0.6400है० है तथा राजस्व नक्शे के खसरा नम्बर 296 का रकबा 0.70है० आता है। जो जमाबन्दी के रकबे से ज्यादा है। अतः पहले दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक है। लिहाजा पत्थरगढी किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू—राजस्व अधि० को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	